

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

रोताश बनाम सांवलिया वगै०

किसम मुकदमा दावा 53, 188 आर.टी.ए.

मु० नं० 1/219 सन-2025

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2025/358</div>	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
0.2025	<p>दावा वकील वादी श्री रज्जन सिद्ध, एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्गे रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 18.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपखण्ड अधिकारी</del> मालाखेडा</p> <p>8/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी प्रति० की रजि० तलबी द्दु तलबाना पेश करे। पत्रावली दि० 30/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपखण्ड अधिकारी</del> मालाखेडा (अलवर)</p>	
26/11/25	<p>वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वादी व वादी वकील ने वाद को आगे नहीं चलाने द्दु इकीरत पर वाद Not Press में वारीज कराने का कगन किया।</p> <p>वादी के द्दु तलब करे गये। वादी की पदवा वकील वादी ने की। अतः वकील वादी के द्वारा वाद Not Press करने पर वाद व वारीज किया जाता है। पत्रावली फेरल होकर नम्बर सै कम हो। वाद फेरल व वारीज हो।</p>	<p>26/11/25</p> <p style="text-align: right;">I.D.</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

~~उपखण्ड अधिकारी~~  
मालाखेडा (अलवर)